कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ़

website- http://uppolice.gov.in E-mail- spazh-up@nic.in proazh@gmail.com

पत्र सं.- 291/22 *दिनांक- 04-सितम्बर-2022*

प्रेस नोट

थाना गम्भीरपुर

चोरी की घटना का सफल अनावरण; चोरी गये टैक्टर टाली, चोरी की 04 मोटर सायकिल व अवैध तमंचा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 01.09.2022 की रात्रि मे अमौड़ा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मिर्जा कलीम के ईट के भट्टे पर से एक अदद टैक्टर मय टाली सहित अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिये जिसकी सूचना टैक्टर मालिक मिर्जा सलीम बेग द्वारा प्रार्थनापत्र देकर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 302/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. उमाकान्त शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही है।

आज दिनांक 04.09.2022 को थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द मय हमराह को सूचना मिली कि चोरी की मोटर सायकिल से गोसाई की बाजार से हाइवे की तरफ आ रहे है, तत्काल गोमाडीह तिराहे पर पहुँचकर सतर्क होकर चेकिंग करने लगे, तभी गोसाई की बजार की तरफ से एक मोटर सायकिल से दो ब्यक्ति आते हुए दिखायी दिये जिन्हे देखकर रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर सायकिल चालक के पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस वालो को जान से मारने की नियत से लक्ष्य बनाकर फायर कर दिया तथा अपनी मोटर सायकिल को बडी तेजी से मोड़ कर पुनः बजार की तरफ भागना चाहे कि वही पर मोटर सायकिल अनियत्रित होकर गिर गयी तब पुलिस वाले हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों को घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ा लिया गया पकडे गए पहले व्यक्ति की जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अनिल यादव उर्फ मेटी पुत्र शिवप्रसाद यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में लिए एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व जेब से 220 रूपया नगद बरामद हुआ पकडे गए दुसरे व्यक्ति से जमा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अजीत राय उर्फ अतुल पुत्र कृपाशंकर राय निवासी अमौड़ा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से उसके पैट के बायी जेब से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

पूछताछ विवरण गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम लोग गाड़ी चोरी करके उसको बेच कर जीवन यापन करते है दिनांक 01.09.2022 की रात्रि मे हम लोग अमौड़ा मे कलीम के भट्टे से एक टैक्टर व टाली चोरी किये थे जिसको हम लोग उबारपुर मे भट्टे के पास झाड़ी मे छिपाकर रखे है तथा चोरी की 03 और भी मोटर सायकिल चोरी करके वही पर छिपा कर रखे है जिसको आज बेचने वाले है कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्तों के निशानदेही पर उबारपुर भट्टे का पास से थाना स्थानी से चोरी गये एक अदद टैक्टर व टाली तथा 04 अदद मोटर सायकिल चोरी की बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- अनिल यादव उर्फ मेटी पुत्र शिवप्रसाद यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष
2- अजीत राय उर्फ अतुल पुत्र कृपाशंकर राय निवासी अमौड़ा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी:-

1- अभियुक्त अनिल यादव के कब्जे से एक अदद कट्टा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस
2- अभियुक्त अजीत राय के कब्जे से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3- एक अदद टैक्टर नम्बर यू.पी. 50 बीजेड 5312 व टाली
4- चोरी की 04 अदद मोटर साइकिल

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु.अ.स. 305/22 धारा 307/379/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2- मु.अ.स. 306/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3- मु.अ.स. 307/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त अनिल यादव का आपराधिक इतिहास-

क्र.स.	मु.अ.स	धारा	थाना
1	8/16	307/504/506 भादवि	तरवाँ
2	180/16	504/506 भादवि	मेहनगर
3	313/16	147/323/452/504/506 भादवि	तरवाँ
4	74/18	392/411 भादवि	तरवाँ
5	75/18	37/386/504/120बी भादवि	तरवाँ
6	78/18	3/25 आयुध अधि0	तरवाँ
7	135/18	3(1) यू.पी. गैगेस्टर एक्ट	तरवाँ

अभियुक्त अनिल यादव का आपराधिक इतिहास-

क्र.स.	मु.अ.स	धारा	थाना
1	125/21	307/420/467/468/471 भादवि	गम्भीरपुर
2	126/21	3/25 आयुध अधि0	गम्भीरपुर
3	निल/21	3(1) गुण्डा अधि0	गम्भीरपुर
4	35/20	323/504/506 भादवि	गम्भीरपुर
5	252/17	147/148/149/323/307/308/504 भादवि	गम्भीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष गम्भीरपुर रामप्रसाद बिन्द मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- अहरौला

अवैध शराब माफिया (माहुल जहरीली शराब प्रकरण) के 06 अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका(NSA) अन्तर्गत कार्यवाही

दिनांक- 21.02.2022 को कस्बा माहुल में अभियुक्त रंगेश यादव की ठेके की दुकान से मिलावटी अपमिश्रित/अंग्रेजी शराब के पीने से 07 लोगो की मृत्यु हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना अहिरौला पर मु0अ0सं0- 39/2022 धारा 60 (A) आबकारी अधि0 व 272/273/34/420/467/468/471 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें नामित/प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत FIR दर्ज कर 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना अहिरौला की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर दिनांक- 03.09.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्तों

1. सूर्यभान पुत्र रामफेर ग्राम गुवाई थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

2. पुनीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव ग्राम चकगंजली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

3. रामभोज पुत्र सुग्रीव ग्राम समसल्लीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ

4. अशोक यादव पुत्र बाबूराम ग्राम उदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

5. पंकज यादव पुत्र दयाराम निवासी चकगंजलीशाह (सरांवा) थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

6. मो0 कलीम पुत्र मो0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की गई।